रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25072022-237531
CG-DL-W-25072022-237531

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 10—जुलाई 16, 2022, शनिवार/ आषाढ़ 19—आषाढ़ 25, 1944
No. 28] NEW DELHI, JULY 10–JULY 16, 2022, SATURDAY/ASADHA 19–ASADHA 25, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

का.आ. 645.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 16 फरवरी, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का॰आ॰ 695(अ), तारीख 16 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 804.43 एकड़ (लगभग) या 325.55 हेक्टेयर (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2022

का.आ. 646.—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम,1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 नवम्बर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 811, तारीख 24 नवम्बर, 2021 को जारी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई थी ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, कि इस प्रकार निहित भूमि 564.323 हेक्टर (लगभग) या 1394.442 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 27 नवम्बर, 2021 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात:-

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित सभी प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसे ही मदों की बाबत् सभी संदाय करेगी;

(2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और किसी ऐसे अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाऐंगे और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि जैसी सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत् उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाऐंगे ;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

(4) सरकारी कंपनी के पास उक्त भूमि और उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिये जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/20/2020-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, निदेशक

New Delhi, the 11th July, 2022

S.O. 646.—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S. O. 811, dated the 24th November, 2021, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th November, 2021, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the lands and all rights in or over the lands described in the schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Northern Coalfields Limited, District Singrauli, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 564.323 hectares (approximately) or 1394.442 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested shall with effect from the 27th November, 2021 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

(1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws ;

(2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;

(3) The Government company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said lands so vested ;

(4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said lands so vested to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and

(5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands, as and when necessary.

[F. No. 43015/20/2020- LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Director

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2022

का.आ. 647.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, बजाज नगर, जयपुरए (राजस्थान), प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भालेरी रोड, चूरू, (राजस्थान) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और श्री रतनलाल, कामगार, के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण- सह- श्रम न्यायालय- जयपुर (राजस्थान) पंचाट (संदर्भ संख्या 75/2015) को जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को सॉफ्ट कॉपी के साथ 15.06.2022 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल–42012/143/2015–आईआर(डीयू)]

डी. के. हिमांशु, अवर सचिव